न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 155 / 2019	15–10–2019	16–02–2021

01–प्रतीम सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति रायसिक्ख
02–जसविन्दर सिंह पुत्र बलदेव सिंह पौत्र लाभ सिंह
03–चिम्मन सिंह पुत्र लाभ सिंह रायसिक्ख निवासीयान ग्राम मीठियाबास तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।
2–ग्राम पंचायत मिलकपुरखुर्द पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 08.12.1979 नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 08.12.1978 ग्राम मीठियाबास तहसील तिजारा।

उपस्थित :–
01. श्री सरदार खां –वकील अपीलाण्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 सं01

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 08–12–1979 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 48 वाके ग्राम मीठियाबास तहसील तिजारा का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपील में वर्णित आराजी साबिक ख0नं0 546 मिन रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 1246 मिन रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा, 1253 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा, 1256 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा कायम हुऐं है, और उक्त भूमि को साबिक ख0नं0 546 मिन रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा जरिये बैयनामा दिनांक 28.08.1969 को अपीलान्ट के पिता वो दादा लाभसिंह पुत्र सौदागर सिंह ने खरीद किया था। बैयनामा तस्दीक होने के बाद विवादित इंतकाल संख्या 48 विधिवत कैम्प वो अभियान में ग्राम पंचायत मिकलपुरतुर्क पंचायत समिति तिजारा द्वारा सही तरीक पर स्वीकार किया था किन्तु तहत अदालत ने अपनी अपीलीय आदेश दिनांक 08.12.1979 के जरिये गलत तरीके पर खिलाफ कानून वो खिलाफ निरस्त कर दिया। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को बैयनामा के आधार पर इंतकाल तस्दीक करने के अधिकार राज्य सरकार ने प्रदत्त किये हुऐं है और ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था है। तहत अदालत ने कानून को अपने हाथ में लेकर और कानून के

जिला कलक्टर, अलवर

प्रावधानों को उल्लधंन कर अपीलीय आदेश पारित किया है जो काविल मंसूखी है। अपीलान्ट के हकूको पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है और उनके खातेदारी हकूक समाप्त हो गये। अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा खरीदशुदा आराजी 546 मिन रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा में से 1 बीधा 13 बिस्वा आराजी तहत अदालत की आज्ञा पारित होने के बाद मृतक शेरसिंह पुत्र ठाकुर सिंह के वारिसान के नाम सहबन से गलत तरीके पर दर्ज है उनके रहने से अपीलान्ट हकूक जायल हो रहें है। जबकि अपीलान्ट से पूर्व उनके पिता वो दादा के नाम कब्जे काश्त खातेदारी में चलती रही और आज भी शेरसिंह के वारिसान आराजी पर सरोकार है। वर्णित आराजी साबिक ख0नं0 546 मिन रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 1246 मिन रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा, 1253 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा, 1256 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा कायम हुऐं है, और उक्त भूमि को साबिक ख0नं0 546 मिन रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा में बने 1246 मिन रकबा 1 बीधा अपीलान्ट के नाम है और राजस्व रेकार्ड में बदस्तुर चली आ रही है। आराजी ठाकुरसिंह विस्थापित को आवंटन हुई थी। उस की मृत्यु के बाद उक्त आराजी के साथ अन्य आराजी करीबन 16 बीधा का सनद् पट्टा कर्ता जमुनाबाई बेवा ठाकुरसिंह अलॉटी के नाम जारी किया और उसके हक में खातेदारी का इंतकाल दर्ज हुआ। अपीलान्ट के पूर्वज लाभ सिंह ने विधिवत तरीके से खरीद किया था और जमुनाबाई बेवा ठाकुरसिंह ने अपने पुत्र शेरसिंह को मुख्त्यार बनाकर बैयनामा लाभसिंह के हक में कब्जा मौके पर देकर और पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बैयनामा तस्दीक करा दिया। तहत अदालत ने बैयनामा सही तरीके पर तस्दीक नहीं किया बल्कि भूमि जमुनाबाई के नाम है और शेरसिंह के द्वारा बैयनामा किया गया है सरासर आज्ञा पारित की है। अपीलान्ट को इंतकाल की नकल दिनांक 25.10.2016 को प्राप्त हुई इसलिये जानकारी दिनांक 23.10.2016 से 08.12.1979 की आज्ञा की जानकारी के अभाव में समय का समायोजन कर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

अपीलान्ट कें अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :–

आर0आर0डी0 1996 पेंज 16, आर0आर0डी0 1988 पेज 319, आर0आर0टी0 2019(1)पेंज 253, पेंश किये।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जाबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पस्ट करना होता है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय

जिला कलक्टर, अलवर

आदेश दिनांक 08–12–1979 के विरूद्ध दिनांक 19–12–2016 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि बैयनामा तस्दीक होने के बाद विवादित इंतकाल संख्या 48 विधिवत कैम्प वो अभियान में ग्राम पंचायत मिकलपुरतुर्क पंचायत समिति तिजारा द्वारा सही तरीक पर स्वीकार किया था किन्तु तहत अदालत ने अपनी अपीलीय आदेश दिनांक 08.12.1979 के जरिये गलत तरीके पर खिलाफ कानून वो खिलाफ निरस्त कर दिया। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को बैयनामा के आधार पर इंतकाल तस्दीक करने के अधिकार राज्य सरकार ने प्रदत्त किये हुऐं है और ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था है। तहत अदालत ने कानून को अपने हाथ में लेकर और कानून के प्रावधानों को उल्लधंन कर अपीलीय आदेश पारित किया है जो काबिल मंसूखी है। यदि हम मूल अपील का भी अवलोकन करें तो पाया कि तहत अदालत ने विवादित इंतकाल दिनांक 08.12.1979 को निर्णित किया गया है, जब विवादित इंताकल पूर्व में स्वीकृत हो चुका है और सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हुआ तो पुनः विवादित इंताकल को निर्णित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। तहत पत्रावली में इंतकाल खारिज करने संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई कार्यवाही करने से पूर्व सूचना देकर सुनवाई की जानी चाहिए, यही न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धान्त है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 08–12–1979 जिनके द्वारा इन्तकाल सं0 48 वाके ग्राम मीठियाबास तहसील तिजारा जिला अलवर निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड वापस भिजवाया जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर